

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 2011/भाद्र 28, 1933

[रा.स.स.क्षे.दि. सं. 153

No. 156] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 2011/BHADRA 28, 1933

N.C.T.D. No. 153

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं बन्य प्राणी विभाग

अधिसचना

दिल्ली, 19 सितम्बर, 2011

सं. 8(280)/09/सीएफ/विधि/3819-3822,—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 14 के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा 15 अप्रैल, 1996 की पूर्व अधिसूचना संख्या फाईल 10/पीए/डीसीएफ/94 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा सचिव (पर्यावरण एवं वन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को उक्त अधिनियम की धारा 9, 10 तथा 11 के अन्तर्गत जारी वन अधिकारी के आदेश तथा निदेशों के विरुद्ध अपील को सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लाग होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

केशव चन्द्रा, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILD LIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th September, 2011

F. No. 8 (280)/09/CF/Legal/3819-3822.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Section 2 read with Section 14 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) and in supersession of the previous notification No. F. 10/PA/DCF/94 dated 15th April, 1996, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the Secretary (Environment and Forests), Government of NCT of Delhi as the Appellate Authority to hear appeals against the order and direction of the Tree Officer issued under Sections 9, 10 and 11 of the aforesaid Act.

This order shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KESHAV CHANDRA, Secy. (Environment and Forests)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 सितम्बर, 2011

सं. फा. 45(138)/अभि./पीएफए/2010/9603-16,—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 68 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को उनके संबंधित जिलों के लिए न्याय निर्णायक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात ्—

		जिला
1.	अतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट	मध्य
2.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	पूर्व
3.	अतिरिक्त जिला मिजस्ट्रेट	नई दिल्ली
4.	अतिरिक्त जिला मिजस्ट्रेट	उत्तर
5. 6.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम
7.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	दक्षिण
8.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	दक्षिण पश्चिम
9.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	पश्चिम -

सम्द्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अचला सिंह, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

Delhi, the 19th Septembert, 2011

F. No. 45(138)/Pros./PFA/2010/9603-16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Additional District Magistrates for the purpose of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), as Adjudicating Officers for their respective Districts:—

		District
1.	Additional District Magistrate	Central
2.	Additional District Magistrate	East
3.	Additional District Magistrate	New Delhi
4.	Additional District Magistrate	North
5.	Additional District Magistrate	North East
6.	Additional District Magistrate	North West
7.	Additional District Magistrate	South
8.	Additional District Magistrate	South West
9.	Additional District Magistrate	West

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ACHLA SINGH, Spl. Secy.

भूमि व भवन विभाग

(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 19 सितम्बर, 2011

सं. फा. 8(13)/10/भू. व् भ./भू. अ./8171.—जबिक दिल्ली के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा झेंडेवालान में दिल्ली नगर निगम हेतु भवन/निर्मित ढांचा प्राप्त किया जाना है। अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भवन/निर्मित ढांचा अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसर्वाधत के लिए प्रचालित की जाती हैं।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाकों में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भवन के अर्जन में कोई आपत्ति हैं, अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (मध्य) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि/भवन (निर्मित ढांचा) के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (मध्य) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गाँव/स्थान	प्लाट सं. 2 झंडेबालान पर निर्मित क्षेत्रफल (भवन)	खसरा संख्या	निर्मित क्षेत्रफल
झंडेवालान	4892 वर्ग गज	204/194	4892 वर्ग गज

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT (Land Acquisition Branch) NOTI FICATION

Delhi, the 19th September, 2011

F. No. 8(13)/10/L&B/LA/8171.— Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that building/super structures is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for MCD Workshop Building, Jhandewalan, Delhi. It is hereby notified that the building/super structures in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of powers conferred by the aforesaid Section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the building in the locality and do all other acts required or permitted by that Section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any building in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (Central), Delhi.

Map showing the boundaries of building/plot covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (Central), Delhi.

SPECIFICATION

Village/Locality	Built up Area on Plot No. 2 (Building)	Khasra No.	Built up Area
Jhandewalan	4892 Sq. Yards	204/194	4892 Sq. Yards

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Delhi, VINAY KUMAR, Addl. Secy.